UNDERTAKING REGARDING NON VIOLATION OF FOREST (CONSERVATION) ACT 1980

I, Chetan Kumar Mishra, authorized signatory of Bharat Petroleum Corporation Limited, on behalf of the Company, undertake that our vendor will not start any further activity in the forest land without obtaining prior approval from the competent Authority to start the work. The laying of pipeline and gas safety signboard installation work, that was started inadvertently in Barwadih protected Forest along the Chatra to Chouparan road edge by our vendor at one place had been stopped immediately and restored the place as earlier.

I further undertake on behalf of the Company, not to commit any activity that constitutes violation of Forest (Conservation) Act, 1980.

CHETAN KUMAR MISHRA
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
IST FLOOR, BSNL EXCHANGE OFFICE CAMPUS
CHATRA, JHARKHAND

Place :Chatra & Palamu
Date : 08.07.2025

Chetan Kumar Mishra
Territory Manager (GAS), Jharkhand-1
Bharat Petroleum Corporation Limited

कार्यालयः— वन क्षेत्र पदाधिकारी, राजपुर वन प्रक्षेत्र

E-Mail Address: rforajpur@gmail.com, Telefax No. 8987790221

पत्रांक :– 112 **दिनांकः–** 21/02/2025

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

विषयः— इस प्रक्षेत्र अंतर्गत बरबाडीह सुरक्षित वन के वन सीमा के अंदर बिना अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त किए चतरा चौपारण मुख्य पथ के किनारे अवैध रूप से चतरा चौपारण मुख्य पथ के किनारे गैस पाइप लाइन डालने एवं गैस पाइप लाइन से संबंधित चेतावनी बोर्ड लगाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि इस प्रक्षेत्र अंतर्गत बरबाडीह सुरक्षित वन के वन सीमा के अंदर बिना अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त किए चतरा चौपारण मुख्य पथ के किनारे अवैध रूप से चेतन कुमार मिश्रा, मुख्य ठेकेदार, भारत गैस रिर्सोसेस लिमिटेड, शिव मंदिर के नजदीक, प्रोफेसर कॉलनी चतरा, जिला–चतरा (झारखण्ड) के द्वारा गैस पाइप लाइन डालने एवं गैस पाइप लाइन से संबंधित चेतावनी बोर्ड लगाने का कार्य रात्रि में चोरी–छिपे किया जा रहा है। इस संबंध में वनरक्षी हउआग उप परिसर के द्वारा अ0प्र0सं0–4843 दि0–20.02.2025 इस कार्यालय में उचित माध्यम द्वारा समर्पित किया गया है। जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्यवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

21/02/25

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
राजपुर वन प्रक्षेत्र।

CHATRA NORTH FOREST DIVISION

कार्यालयः— वन परिसर पदाधिकारी, कोल्हैया वन परिसर।

पत्रांकः— 04 दिनांकः— 21/02/25

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय, चतरा।

विषयः— वनरक्षी का अपराध प्रतिवेदन सं0—4843, दिनांक—20.02.2025 को समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि श्री उतम कुमार, वनरक्षी, हउआग उप परिसर, दिनांक—20.02.2025 को करीब 10:00 बजे सुबह में अपराध प्रतिवेदन पर दर्ज ग्वाहो के साथ बरबाडीह सुरक्षित वन में भ्रमण के दौरान देखा की वन सीमा के अंदर अवैध रूप से चतरा चौपारण मुख्य पथ के किनारे गैस पाइप लाइन डालने एवं गैस पाइप लाइन से संबंधित चेतावनी बोर्ड लगाने का कार्य किया हुआ है। तत्पश्चात आस—पास के ग्रामीणों से पुछ—ताछ किया तो पता चला कि यह अवैध कार्य रात्रि में अपराध प्रतिवेदन पर लिखे अभियुक्त के द्वारा चोरी छिपे किया गया है, जिसे वनरक्षी ने नामजाद अभियुक्त बनाया। इस संबंध में वनरक्षी का अपराध प्रतिवेदन स0—4843, दिनांक—20.02.2025 इस कार्यालय में दिनांक—20.02.2025 को समर्पित किया गया। उक्त अपराध प्रतिवेदन को प्राप्त कर घटना को सत्य जानकर अपराध प्रतिवेदन संलग्न कर अग्रसारित किया जा रहा है।

अभियुक्त के द्वारा बरबाडीह सुरक्षित वन सीमा के अंदर अवैध रूप से वनभूमि का अतिक्रमण कर चतरा चौपारण मुख्य पथ के किनारे गैस पाइप लाइन डालने एवं गैस पाइप लाइन से संबंधित चेतावनी बोर्ड लगाने का कार्य कर भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधित अधिनियम 1989—90) की धारा—33 के तहत जूर्म किया गया है जो दण्डनीय, गैर—जमानतीय तथा संज्ञेय अपराध है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस मुकदमें को स्वीकार करते हुए उचित कानुनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय। जॉचोपरान्त पूर्ण अभियोजन पत्र उचित माध्यम द्वारा अविलंब समर्पित की जाएगी।

अभियुक्तों का नाम एवं पताः—

C/S

1. चेतन कुमार मिश्रा, पिता— नही मालुम,
   मुख्य ठेकेदार, भारत गैस रिर्सोसेस लिमिटेड, शिव मंदिर के नजदीक, प्रोफेसर कॉलनी चतरा, जिला—चतरा (झारखण्ड)।
2. अन्य अज्ञात 2 से 3 व्यक्ति

25/2/25

अनुलग्नकः—

1. वनरक्षी का अ0प्र0सं0:—4843, दिनांक—20.02.2025 की मूलप्रति।
2. अधिसूचना सं0 की छायाप्रति।

26/02/2025

विश्वासभाजन

Ujjwal Kumar
21/02/25

प्र0 वन परिसर पदाधिकारी
कोल्हैया वन परिसर।

RK

Hasan
21.2.2025

Filing No- 1049/2025
CNR- JHCH 03001054 2025
Reg NO: 285/2025
Date: 22/02/25

कार्यालय वन क्षेत्र पदाधिकारी, राजपुर प्रक्षेत्र
ज्ञापांक / पत्रांक 118 दिनांक 24/02/2025
प्रतिलिपि — वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/25

वन क्षेत्र पदाधिकारी
राजपुर प्रक्षेत्र।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी ... 969 ... 26.02.25

Schedule XVIII-Form No. 21A

No. 4843

FOREST DEPARTMENT, JHARKHAND

जंगली विभाग

..........................Division,

चतरा उत्तरी वन डिवीजन

Note :- This report is to be submitted within 24 hours of the detection.

नोट :– यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिये ।

Offence Report No. / जुर्म नम्बर 4843 Date / तारीख 20/02/2025

1. Place of occurrence - / घटना स्थान – अरवाडीह सुरक्षित वन, थाना – राजपुर

2. Date and hour of detection - / पकड़ने का समय और तारीख – दि० – 20/02/2025 समय 10.00 बजे सुबह

3. Name(s), parentage and residence of offenders - / नाम अपराधी और उसके पिता का नाम और पता – (1) चैतन्य कुमार मिश्रा, पिता :- नहीं (अज्ञात) मुरली भोज गैस रिसोर्सेस लिमिटेड, शिव मंदिर के नजदीक, प्रोफेसर कॉलोनी, चतरा (झारखण्ड) (2) अज्ञात 2-3 तीन व्यक्ति

4. Property seized, if any - / जप्ती माल, अगर कोई – X

5. Custody of seized property- / जप्ती माल का जिम्मेवार – X

6. Name(s), parentage and residence of witness(es), if any - / नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता – (1) श्री उज्जवल कुमार, वनरक्षी राजपुर वन प्रक्षेत्र, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल चतरा ।

7. Naure of offence and facts of the case - / तफसील और बयान जुर्म –

P.T.O.

सेवा में,

श्री वन परिसर पदाधिकारी
कोल्हैया वन परिसर।
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल-चतरा।

महाशय,

सेवा मे रिपोर्ट देना यह है कि दिनांक-20.02.2025 के करीब 10:00 बजे सुबह में अपने सहयोगी कर्मी के साथ बरबाड़ीह सुरक्षित वन का वन गश्ती करते समय देखा कि चतरा-चौपारण मुख्य पथ के किनारे बरबाड़ीह सुरक्षित वन के वनभूमि मे रात्रि मे चोरी छुपे गैस पाइपलाइन डालने एवं रोड किनारे गैस पाइप लाइन से संबंधित चेतावनी बोर्ड लगाने का कार्य किया गया है। आस-पास के ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त कार्य पर लिखे अभियुक्त (ठेकेदार) द्वारा रात्रि मे चोरी-छिपे यह कार्य मजदूरों द्वारा कराया जाता है। अतः उक्त कार्य पर लिखे अभियुक्त को नामजद अभियुक्त बनाया गया।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस केस को जाँचकर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

वनभूमि का क्षति

① झाड़ी कटाई एक ट्रैक्टर
② करीब-01 (एक) डीसमील

श्रीमान् का विश्वासी

Uttam Kumar 20.02.25
(उत्तम कुमार)
वनरक्षी
बरबाड़ीह उप परिसर
राजपुर वन प्रक्षेत्र
दि॰-20.02.2025